राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 697/2014/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर .....अपीलार्थी

बनाम

M/s Aaykay Petrochem,
G-579, MIA. ALWAR .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी–राजस्व की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से

निर्णय

निर्णय दिनांक : 15/10/2018

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 219/वेट/2012–13/उपा/अपील्स/अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनयम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति रुपये 91,518/–को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–प्रतिकरापवंचन अलवर द्वारा दिनांक 10.02.2013 को वाहन संख्या एचआर–37ए–3696 को टेल्को चौराहे, अलवर पर रोक कर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में लदे माल टायर ऑयल बाबत माल प्रभरारी एवं वाहन चालक श्री कृष्णलाल यादव ने M/s Aaykay Petrochem, Alwar द्वारा मै0 नवीन ऑयल कम्पनी, रोहिणी(दिल्ली) के नाम जारी टैस इनवाईस नं0 003 दिनांक 10.02.2013 पेश किया जिसमें 10895 किलोग्राम टायर ऑयल पाया गया। इसके साथ अन्य कोई दस्तावेज वक्त जांच पेश नही किये। उक्त इनवाईस रा.मू.प.क.अ,2006 के नियम 38 के तहत नहीं होने एवं प्रस्तुत दस्तावेज संदिग्ध होने पर दस्तावेज की सत्यता फर्म के लेखा रिकार्ड से करवाये जाने बाबत जांच अधिकारी द्वारा फर्म को सूचित कराया गया। पालना में फर्म स्वामी श्री आशीष गुप्ता ने उपस्थित होकर फर्म के लेखा रिकार्ड से उक्त दस्तावेज का सत्यापन करवाने में असमर्थता व्यक्त की। तत्पश्चात जांच अधिकारी ने प्रथम दृष्टया करापवंचना के संदेह में शास्ति आरोपण प्रस्तावित कर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण को उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर अलवर के

आदेशानुसार पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली को दर्ज किया जाकर प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए माल कीमतन रुपये 03,05,060/– पर 30 से शास्ति रुपये 91,518/– प्रत्यर्थी फर्म के विरूद्ध आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के व्यथित होकर, प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद प्रकाशन कार्यवाही के पश्चात भी अनुपस्थित रहा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विचाराधीन प्रकरण में माल परिवहन के समय माल के साथ परिवहनित दस्तावेजों में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिल को आरवेट नियम – 38 के अनुसार नहीं होने एवं सन्देहास्पद होने के कारण नियमित रिकार्ड से मिलान कराने हेतु व्यवसायी को सूचित किया गया परन्तु रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति राशि रू. 91,518/– आरोपित की है। वेट नियम–38 के प्रावधानों के अनुसार जारी बिल दोहरी प्रतियों मे एवं उस पर 'VAT Invoice', दिनांक, जारीकर्ता फर्म का नाम व पता एवं टिन क्रमांक अंकित हो तथा क्रेता फर्म का नाम, पता एवं रजिस्टर्ड होने की दशा में टिन नं. अंकित होने एवं माल की मात्रा, विवरण एवं वेट कर अलग से चार्ज किया होना चाहिए एवं बीजक पर फर्म मालिक, अधिकृत बिजनेस मैनेजर एवं अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत बिल का अवलोकन करने पर समस्त आवश्यक प्रावधानों की पूर्ति होना पाया जाता है जिसमें 'VAT INVOICE' प्रिन्ट होने के स्थान पर 'Tax INVOICE' प्रिन्ट है एवं जारीकर्ता व्यक्ति के हस्ताक्षर के पश्चात् Authorised Signatory अंकित है। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा वैट नियम–38 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के अन्तर्गत माल के साथ वक्त चैकिंग माल से संबंधित बिल, बिल्टी, चालान एवं आवश्यक घोषणा–पत्र होना आवश्यक है, जो कि चालक द्वारा जॉचकर्ता अधिकारी को जॉच के समय प्रस्तुत कर दिये गये थे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत केवल दो परिस्थितियों में ही शास्ति आरोपित हो

सकती है जिसमे प्रथम कारण व्यवसायी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो एवं द्वितीय कारण उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मिथ्या एवं बोगस साबित हो। रिकार्ड का परिशीलन किये जाने पर इस प्रकरण में प्रथम परिस्थिति यथा–व्यवसायी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना नहीं पाया गया एवं दूसरी परिस्थिति के लिए जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा नियमित रिकार्ड चाहा गया किन्तु उसे प्रस्तुत नहीं किये जाने से जॉच नहीं की जा सकी। इस आधार पर यह मान लेना कि प्रस्तुत दस्तावेज बोगस एवं असत्य है, पूर्णतः अनुचित एवं अमान्य है। जारी सम्मन की पालना में व्यवसायी द्वारा यह कहना कि उसे नोटिस के तथ्य स्वीकार है एवं सत्यापन कराने में असमर्थ हूँ के आधार यह नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है उसके दस्तावेज बोगस है। इस संबधं में स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति होना प्रकट नहीं होता। मैनेजर द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र से भी स्पष्ट होता है कि जॉच के समय व्यवसायी द्वारा जारी बिल संबंधी बिल–बुक का अवलोकन कराया जा चुका था। अतः नियमित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार करते हुए शास्ति अपास्त की है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया

(नत्थूराम)
सदस्य